न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्याः 05/2017
दर्ज दिनांकः 21/03/2017
निर्णय दिनांक : 20/03/2018

संजय कुमार घीया पुत्र स्व. श्री रामनारायण एच.यू.एफ. निवासीः प्लॉट नंबर ई–68, सिद्धार्थ नगर, मालवीय नगर, जयपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. कुमावत कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. जरिये निदेशक मोती लाल कार्यालय 11–राणा प्रतापनगर, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।
2. सूरजकरण पुत्र मोहरी लाल
3. कैलाशचन्द पुत्र मोहरी लाल
4. रमेशचन्द पुत्र मोहरी लाल
5. लल्लूनारायण पुत्र मोहरी लाल
6. कमलेश पुत्र मंगलराम
7. गोपाल पुत्र मंगलराम
8. मोहन पुत्र मंगलराम
9. गणेशराम पुत्र मंगलराम
10. मुकेश कुमार पुत्र दयालराम
11. देवी सहाय पुत्र दयालराम

    समस्त जातियानः कुमावत, निवासीयानः पहाडिया, तहसील फागी, जिला जयपुर।

12. अशोक कुमार पुत्र मूलचन्द जाति कुमावत हाल निवासीः प्लॉट नंबर 2, श्याम कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

13. रामेश्वरी पत्नि मूलचन्द जाति कुमावत हाल निवासीः प्लॉट नंबर 2, श्याम कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर।

14. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत तरमीम दुरूस्ती

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि आराजी खतौनी संख्या 303 के आराजी खसरा नंबर 459/2, 459/3, 462/1, 462/2, 462/3, 463/1, 463/2, 463/3, 468/1 कुल किता 9 कुल रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम पहाडिया पटवार हल्का पहाडिया, भू.अभि.नि.क्षेत्र चित्तौडा, तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है जिसका प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है एवं अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराते चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात की तरमीम सन् 1950 अर्थात सेटलमेन्ट से पूर्व नक्शा लट्टा ट्रेस में तरमीम की हुई थी जिसके उपरांत संवत् 2011 में जब सेटलमेन्ट हुआ उस समय जो नक्शा बना उसमें एवं सैटलमेन्ट की पर्चा खतौनी में उक्त तरमीम का इन्द्राज हो रखा था। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात की इसके पश्चात अर्थात सेटलमेन्ट के बाद तरमीम दुरूस्त के आदेश किसी भी न्यायालय द्वारा पारित नहीं किये गये बावजूद इसके अधीनस्थ तहसीलदार फागी एवं राजस्व कर्मचारियो द्वारा उक्त आराजीयात की पूर्व में तरमीम को विलोपित करते हुये नक्शा ट्रेस में फेरबदल करते हुये वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी जिसमें तरमीमशुदा नंबर जिनमें बंटा नंबर डले हुये है जिसके मुताबिक पूर्व में सेटलमेन्ट से पूर्व व सेटलमेन्ट के समय नक्शा लट्ठा में की हुई तरमीम को राजस्व कानून का उल्लंघन करते हुये पूर्व की तरमीम को बिना किसी आदेश के विलोपित कर दिया गया जो कि गैर कानूनी है एवं काबिले दुरूस्त है। प्रार्थी ने अपनी भूमि को उन्नत व उपजाऊ बनाने एवं विकसित करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु हल्का पटवारी से

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

जमाबंदी व नक्शा ट्रेस प्राप्त किया एवं लोन हेतु आवेदन किया तो प्रार्थी को जानकारी हुई की मुताबिक जमाबंदी नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं है जिस पर प्रार्थी ने सेटलमेन्ट एवं इससे पूर्व का नक्शा लट्ठा व चकत राशि निकलवायी तो प्रार्थी को आश्चर्य हुआ की उक्त दोनों राजस्व नक्शे में तरमीम हो रखी है लेकिन वर्तमान नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं हो रखी है जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को समस्त राजस्व रिकॉर्ड की फोटो प्रतियां सहित अपने राजस्व रिकॉर्ड जिसमें पूर्व के नक्शे चकत राशि व सेटलमेंट नक्शे में तरमीम हो रखी है एवं वर्तमान राजस्व नक्शा, नक्शा ट्रेस जिसमें पूर्व की तरमीम को विलोपित कर रखा है एवं वर्तमान जमाबंदी व संवत् 2011 की पर्चे की नकल सहित लिखित में वर्तमान नक्शे में पूर्व नक्शे अनुसार विलोपित तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु आवेदन किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 14 ने प्रार्थी को तरमीम दुरूस्त करने का आश्वासन दिया। अभी हाल ही में दिनांक 21.02.2011 को जब प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 14 के कार्यालय में उपस्थित होकर अपने द्वारा पेश आवेदन बाबत कहा तो अप्रार्थी संख्या 14 ने प्रार्थी को तरमीम दुरूस्ती के आदेश लाने हेतु कहा इस कारण प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र बाबत तरमीम दुरूस्ती हेतु पेश करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थी संख्या 14 को कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं था कि वो प्रार्थी की आराजी भूमि की पूर्व में की गई तरमीम को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना विलोपित करें जबकि प्रार्थी को यह कानूनी हक व अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी खातेदारी भूमि जिसकी तरमीम सेटलमेन्ट एवं इससे पूर्व हो रखी थी के अनुसार तरमीम दुरूस्त करा लेवे एवं अप्रार्थीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करा देवें।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात की तरमीम पूर्व में सेटलमेन्ट एवं इससे पूर्व चकल राशि के नक्शा लट्ठा अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे, नक्शा ट्रेस/नक्शा लट्ठा में दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें। अप्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावें कि वह जब तक न्यायालय का आदेश नहीं हो तब

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

तक वर्तमान राजस्व नक्शे में किसी भी प्रकार की तरमीम नहीं करे, न करावे, मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। दिनांक 26.05.2017 को अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 8 के विरूद्व बावजूद रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस तामील न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी संख्या 10 व 11 की ओर से श्री भवानी शंकर एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 14 की ओर से पैरोकार राज0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया,. शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 27.02.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5, 9, 12 व 13 के विरूद्व बावजूद रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस तामील न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गयी। वकील अप्रार्थी संख्या 10 व 11 को जवाब प्रस्तुत करने के काफी अवसर दिये जाने के पश्चात् जवाब प्रस्तुत न करने के कारण, जवाब बंद किया गया।

तहसीलदार फागी ने अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किये है कि पत्रावली में संलग्न नक्शा चकत राशि में जमाबंदी में अंकित खसरा नंबर में दर्ज है किन्तु वर्तमान में पटवारी के पास उपलब्ध नक्शा लट्ठा में बट्टा नंबर अंकित नहीं है, मूल नंबर ही अंकित है। वाद में संलग्न नकल चक राशि में बट्टा नंबर अंकित करते हुए मूल नंबर का विभाजन किया हुआ है तथा सैटलमेन्ट खतौनी व हाल जमाबंदी में भी बट्टा नंबर अंकित है जो पूर्वानुसार ही है। यह कहना गलत है कि हाल नक्शे में से तरमीम विलोपित की गई है क्योंकि पटवारी के पास उपलब्ध नक्शा संवत् 2011 में किये गये सैटलमेन्ट के अनुसार उपलब्ध कराया हुआ है। वाद में संलग्न चकत राशि के नक्शे अनुसार वर्तमान नक्शा लट्ठा में सभी काश्तकारो के सहमति से तरमीम संभव है किन्तु वर्तमान नक्शा ट्रेस व चकत राशि में बने हुऐ नक्शा ट्रेस की सीमाओं में भिन्नता प्रतीत होती है। चकत राशि के नक्शें में दर्शित खसरा नंबर की दिशाओं की ध्यान करते हुये वर्तमान खसरा नंबर में यदि रकबा बरारी में कम बैठता है तो सभी बट्टा नंबरान में रेशु के हिसाब से रकबा कम करते हुये तरमीम संभव है।

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, रिपोर्ट तहसीलदार फागी इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन तहसीलदार रिपोर्ट साबित पाया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात के वर्तमान नक्शा ट्रेस व चकत राशि में बने हुऐ नक्शा ट्रेस की सीमाओं में भिन्नता है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह विवादित आराजी की पक्षकारान, खातेदार की उपस्थिति में मौका कब्जा, सहमतिनुसार तरमीम की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 20/03/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला-जयपुर

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)